"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2012—भाद्र 15, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-32/2012/वा.क. (आब.)/पांच (42).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 02 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :—
   (1) नियम 12 के उप नियम (2) का लोप किया जाये.
2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2012 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-32/2012/वा.क. (आब.)/पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2012/वा.क. (आब.)/पांच (42), दिनांक 06-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th September 2012

NOTIFICATION

No. F 10-32/2012/CT (Ex)/V (42).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Country Spirit Rule, 1995, namely :—

AMENDMENT

1. In the said Rules :—
   (1) Sub Rule (2) of Rule 12 shall be deleted.

2. This amendment shall take effect with effect from 01-04-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.